

28-7-06

Reg-120

पंजीकृत

प्रेषक,

चन्द्र भाल श्रीवास्तव,
जनपद न्यायाधीश,
गोण्डा ।

Registered	19286
File	IV/3479

सेवा में,

श्री कै०सी० श्रीवास्तव,
उप निबन्धक,
माननीय उच्च न्यायालय,
इलाहाबाद ।

31-7-06
24-5-7
1-8-06

संख्या: 1797 दिनांक: 24/7/06

विषय: उ०प्र० दहेज प्रतिकोध नियमावली 1999 यथासंशोधित 2004 के प्राविधानों के सम्बन्ध में माननीय उच्च न्यायालय के परिपत्र क्रमांक-31/2005 दिनांक 29.10.2005 का कड़ाई से अनुपालन के सम्बन्ध में ।

महोदय,

उपरोक्त विषयक माननीय उच्च न्यायालय के पत्र क्रमांक-9073/प्रशास० {ए-4} दिनांक 13.7.2006 के सन्दर्भ में अनुरोध करना है कि उपरोक्त परिपत्र क्रमांक 31/05 दिनांक 29.10.2005 एवं शासनादेश संख्या-3670/60-3-05-3 {16} संख्या/2000 दिनांक 2.5.2005, 1284/60-3-2005-3 {65} दिनांक 26.05.2005 तथा उत्तर प्रदेश प्रतिकोध प्रथम संशोधित नियमावली 2004 के नियम-5 {5} में निहित निर्देशों के अनुपालन में, जनपद न्यायालय गोण्डा में नवनियुक्त अपर सिविल जज {जु०डि०} गोण्डा क्रमा: श्री संजय कुमार यादव, श्री चन्द्र मोहन चतुर्वेदी एवं श्री राम अवतार प्रसाद से अपेक्षित घोषणापत्र प्राप्त कर लिए गए हैं । श्री अभय प्रकाश नारायण अपर सिविल जज {जु०डि०} गोण्डा का भी इस आदेश का घोषणापत्र प्रस्तुत किया गया है कि उनका विवाह अभी नहीं हुआ है और यह कि वे अपने विवाह में कोई दहेज नहीं लेगे । उपरोक्त सभी अधिकारियों द्वारा प्रस्तुत घोषणापत्र प्रत्येक दो प्रतियों में माननीय उच्च न्यायालय के अवकाशकारी सौंपन किया जा रहा है ।

जनपद न्यायालय गोण्डा में नवनियुक्त अन्य चार अपर सिविल जज {जु०डि०} गोण्डा क्रमा: श्री हुमायूँ रशीद खान, श्री ब्रह्मतेज चतुर्वेदी, श्री श्यामल मिश्र एवं श्री शाहनवाज तौकीर डॉ तनवीर वर्तमान समय में न्यायिक प्रशिक्षण प्राप्त कर रहे हैं जिस कारण से उनसे अपेक्षित उपरोक्त घोषणा-पत्र अभी प्राप्त

S.O.(H)

कृ०प०...2..

Put up this Serial in correct file.

3.7.07

Wasthena

3/7/07

original/3389

08 302
S.O. Adna M/A

D.R.(M)
28-7-06

Abshad
28-5-07

घोषणा-पत्र

Rev. 120

माननीय उच्च न्यायालय के परिपत्र क्रमांक 31/05
दिनांक-29.10.05, शासनादेश संख्या 3670/60-3-04-3
१६९०क्यू०/२००० दिनांक 30.12.2004, 1107/60-3-05-
3१६९०क्यू०/२००० दिनांक 02.05.2005, 1284/60-3-
2005-3१६५ दिनांक 26.5.2005 तथा उत्तर प्रदेश दहेज
प्रतिबंध १ प्रथम संशोधन नियमावली 2004 के नियम-5१५क
में निहित निर्देशों के अनुपालन में, मैं चन्द्र मोहन चतुर्वेदी
आत्मज श्री राम नरेश चतुर्वेदी, अपर सिविल जज १००डि०,
न्यायालय संख्या-7, गोंडटा स्टद्वारा घोषित करता हूँ कि
मैंने विवाह में कोई दहेज नहीं लिया है।

१ चन्द्र मोहन चतुर्वेदी १

अपर सिविल जज १००डि०,
न्यायालय सं०-7, गोंडटा ।

दिनांक-20.07.2006